



3 గరిబీ కమ్ కర్నే కే సాధన్ కే రూప్ స్వ-సహాయతా సమూహ ఆర సఘ

విషయ-సూచీ

6

సతత గ్రామీణ ఆజీవికా కే లిఫ్ కౌశల, మహిలా సశక్తికరణ ఆర గ్రామ పఛాయతొ క్కా వికాస: ంఆరడీపీఆర క్కా 61 వాం స్థాపనా దివస సమారోహ

9

ంఆరడీపీఆర మేం ఆయోజిత గ్రామీణ వికాస పర్ చొథీ రాష్ట్రీయ ఫిల్మ్ సమారోహ

11

సీగార్డ్, ంఆరడీపీఆర ద్వారా నియోజన ఆర ప్రబంధన ప్రశిక్షణ కార్యక్రమ కే లిఫ్ భూ-సంసూచనా విజ్ఞాన ఆర ఆధునిక సర్వేక్షణ తకనీక

12

సీగార్డ్ ంఆరడీపీఆర ఆర సహగల ఫాండ్షెషన్ నే క్కయా గ్రామీణ సుశాసన ంవ్ నాగరీక సహభాగితా పర్ 9 వీ వార్షీక కార్యశాలా క్కా ఆయోజన

14

ంఆరడీపీఆర మేం బాల దివస సమారోహ

15

స్త్రీ నిధి: భారతీయ సూక్ష్మ విత్త పోషణ క్షేత్ర మేం డిజిటల్ నవోన్మేషణ

16

హత సే మేల దొనే వాలీ మహిలాం క్కొ ఇన్ కామొం సే ముక్త కరనే క్కీ దిశా మేం ంఆరడీపీఆర మేం ఆజీవికా వివిధీకరణ పర్ ప్రదర్శన-సహ-ప్రశిక్షణ కార్యక్రమ క్కా ఆయోజన

17

సతత గ్రామీణ ఆజీవికా కే లిఫ్ విజ్ఞాన ఉన్ముఖ గోశాలా ప్రబంధన పర్ ప్రశిక్షణ కార్యక్రమ

17

ంఆరడీపీఆర మేం సంవిధాన దివస మనాయా గయా

18

పోషణ అభియన్ కే తहत పోషణ సంబంధీ పరిణామొం మేం సుధార కే లిఫ్ పీఆరఆరడీ క్కీ నియుక్తి పర్ టీఆఢీ

19

జలవాయు పర్వర్తన పర్ ఆరడీపీఆర డ్వివార్షీక సమ్మేలన



रघुनाथपल्ली गांव, जनगांव जिला, तेलंगाना में समूह स्तरीय संघ की बैठक

गरीबी कम करने के साधन के रूप में स्व-सहायता समूह और संघ

भारत दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो केवल 0.1 प्रतिशत की दर से चीन से पीछे है। हालाँकि, 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 22 प्रतिशत भारतीय आबादी गरीबी के दायरे में है, जो गरीबों के वित्तीय वर्जन के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। लोकप्रिय धारणा के विपरीत गरीब बैंक योग्य नहीं हैं, स्व-सहायता समूह (एसएचजी), जो 90 के दशक की शुरुआत में अस्तित्व में आए थे, यह साबित हुआ कि गरीबों के समूह सामंत के दबाव से ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं। स्व-सहायता समूह भारत में सहकारिता आंदोलन का एक हिस्सा बनकर उभरा है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी संघ के गठन के लिए आगे बढ़े और पहला एसएचजी संघ, ग्रामीण महिला स्वयं सहायता संघ, वर्ष 1993 के दौरान महाराष्ट्र में उभरा।

ऋण की सुविधा, संघों के साथ-साथ मुख्यधारा के वित्तीय संस्थान भी गरीबी को कम करने के कारणों में से एक हैं, लेकिन ये समूह ऐसे मंच हैं जो पूंजी, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, विपणन और कल्याण सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करते हैं।

एसएचजी और फेडरेशन की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति

कारण, महिलाएं संपत्ति का सृजन कर रही हैं, जिससे गरीबी के प्रति उनकी संवेदनशीलता कम हो जाती है। वे बाहरी जोखिमों के प्रति कम संवेदनशील हो गए हैं। कई अध्ययनों ने संकेत दिया कि स्वयं सहायता समूहों में भाग लेने के कारण, उनकी गतिशीलता में सुधार हुआ है और साथ ही घर के साथ-साथ समुदाय के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की उनकी क्षमता बढ़ी है।

वर्तमान में, 461 एनआरपी को एनआरएलएम आरसी, एनआईआरडीपीआर द्वारा सूचीबद्ध किया गया है और देश भर में एसआरएलएम को आवश्यकता-आधारित पेशेवर सहायता प्रदान की जा रही है।

जून 2011 से ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की साझेदारी में दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम लागू किया है।

समुदाय के गरीब परिवारों से जुड़ी महिलाओं को उनकी खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण गरीब माना जाता था। एसएचजी और संघों ने उन्हें गरीबी से ऊपर उठने के लिए एक मंच प्रदान किया। हालाँकि एसएचजी द्वारा बचत के साथ-साथ

के कारण इन सुविधाओं तक पहुंच बना सकती हैं। महिलाएं सामाजिक दृष्टि से सुसंगत गतिविधियों को शुरू कर रही हैं और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में अपने दम पर निर्णय ले सकती हैं। वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक एकजुटता के

डीएवाई-एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य विविध रूप से लाभकारी स्वरोजगार और कुशल वेतन रोजगार के अवसरों के माध्यम से गरीबी को कम करना है, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी आधार पर ग्रामीण गरीबों की आय में सराहनीय वृद्धि हुई है।



महिला संघ के सदस्यों ने स्वच्छ भारत, जेंडर मुख्यधारा और एफएनएचडब्ल्यू पर प्रतिज्ञा ली

मिशन चार प्रमुख घटकों को कार्यान्वित करने के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात् (क) ग्रामीण गरीब (एसएचजी, वीओ, सीएफएल, आदि) के स्थायी सामुदायिक संस्थानों की सामाजिक गतिशीलता और संवर्धन (ख) ग्रामीण गरीबों की वित्तीय समावेशन (ग) स्थायी आजीविका, और (घ) अभिसरण एवं हक।

मानव संसाधन

एसआरएलएम के नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को सक्षम बनाने वाले आरंभिक-सह-गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एनआरएलएम-आरसी विभिन्न राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को आवश्यक कौशल और ज्ञान के साथ उनके कर्मचारियों के क्षमता निर्माण में समर्थन कर रहा है।

संस्था निर्माण

गांव और उच्च स्तरों (समूह, ब्लॉक / उप-जिला और जिला) पर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में गरीबों को एकजुट किया जाता है। ये संगठन गरीबों के लिए संस्थागत निर्माण में एकीकृत हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 में, एनआरएलएम-आरसी ने मॉडल सीएलएफ (समूह स्तरीय संघ) की अवधारणा

के साथ एक और कदम आगे बढ़ा है जहां 2-3 साल के भीतर आत्मनिर्भर, स्थायी सदस्य आधारित और सदस्य शासित संगठनों की उम्मीद है। मॉडल सीएलएफ विकास प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए, एनआरएलएम-आरसी पर्याप्त जमीनी स्तर के अनुभव वाले राष्ट्रीय सामुदायिक विशेषज्ञ प्रशिक्षकों (एनसीएमटी) की सूची विकसित करता है। वर्तमान में, पाँच राज्यों अर्थात् झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से एनआरएलएम-आरसी की सूची में 69 एनसीएमटी शामिल हैं।

वित्तीय समावेशन

एनआरएलएम गरीबों को सस्ती, लागत प्रभावी और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इनमें वित्तीय साक्षरता, बैंक खाता, बचत, ऋण, बीमा, प्रेषण, पेंशन और वित्तीय सेवाओं पर परामर्श शामिल हैं। एनआरएलएम वित्तीय समावेशन और निवेश रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बैंकिंग प्रणाली के पसंदीदा ग्राहकों को गरीब बना रहा है और बैंक ऋण जुटा रहा है।

इस संबंध में, एनआरएलएम-आरसी ने विभिन्न राज्यों के बैंक अधिकारियों को स्व-सहायता समूह पर भरोसा दिलाने के लिए बिना किसी प्रमाण के

गरीबों का वित्त पोषण करने के लिए एक अभिविन्यास का आयोजन किया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 65 बैचों में तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के कुल 3,440 बैंक अधिकारियों को एनआरएलएम अवधारणा पर उन्मुखीकरण दिया गया। इसके अलावा, एनआरएलएम-आरसी ने वित्तीय समावेशन के विषयगत क्षेत्र के तहत अध्ययन किया: डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला एसएचजी के लिए ब्याज आर्थिक सहायता योजना पर एक अध्ययन, डीएवाई-एनआरएलएम के तहत व्यावसायिक संवाददाताओं के रूप में एसएचजी सदस्य पर एक अध्ययन, जहां समुदाय स्रोत व्यक्ति, प्रशिक्षक और विशेषज्ञ लेखाकार सर्वेक्षणकर्ता और डेटा संग्रहकर्ता थे।

आजीविका

'अरक्षितता में कमी' के जरिये गरीबों की विद्यमान आजीविका की श्रेणियों को स्थिर बनाने और बढ़ावा देने और विद्यमान आजीविका के विकल्पों को सघन करने/बढ़ाने और विस्तृत करने के जरिये 'आजीविका की वृद्धि' करने और कृषि एवं कृषितर क्षेत्रों में नये अवसरों का प्रयोग करने; बाहरी व्यापार विपणन के लिए 'रोजगार' सृजन, स्व-नियोजित और उद्यमी (सूक्ष्म उद्यमों के लिए) 'उद्यम' विकसित करने पर एनआरएलएम ध्यान केन्द्रित करता है।

कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) कृषि और संबद्ध गतिविधियों में सभी एसआरएलएम का समर्थन करने के लिए एनआरएलएम की पहल में से एक है। कृषि आजीविका के तहत, डीएवाई-एनआरएलएम-आरसी आवश्यकता-आधारित समर्थन प्रदान करता है, मॉड्यूल विकसित करता है और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, कृषि पारिस्थितिक पद्धति, पशुधन, एफपीजी / एफपीओ और जैविक प्रमाणीकरण आदि पर विशेषज्ञ सीआरपी के लिए टीओटी का आयोजन करता है। इसके अलावा, यह राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा और मूल्यांकन का आयोजन करता है। एनआरएलएम-आरसी ने कैपस और ऑफ कैपस प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित छह कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें 421 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही दो एमकेएसपी मूल्यांकन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

गैर-कृषि आजीविका के तहत, एसवीईपी कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों को उद्यमियों में बदलने के लिए एक बड़ी पहल है। इस कार्यक्रम के तहत, समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए और उनके उद्यमों को बनाये रखने के लिए एसवीईपी कार्यान्वयन राज्यों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में एनआरएलएम-आरसी और एनएमएमयू को संयुक्त रूप से नामित किया गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान, यह कार्यक्रम 17 राज्यों में 88 ब्लॉकों तक

पहुंच गया है और 28,233 उद्यमों का गठन किया है।

सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास जेंडर

एनआरएलएम का मानना है कि जेंडर मुख्यधारा को उसके तंत्र में विशिष्ट होना चाहिए, प्रणालियों, संस्थानों और प्रक्रियाओं में स्थायी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, जिनका समुदाय के जीवन की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जेंडर मुख्यधारा को आरम्भ करने के लिए, एनएमएमयू के साथ एनआरएलएम-आरसी ने जेंडर प्रोटोकॉल विकसित किया, एसआरएलएम कर्मचारियों और समुदाय के लिए जेंडर अवधारणाओं पर प्रशिक्षण आयोजित किया, जेंडर कार्य योजना की तैयारी और भेद्यता में कमी की योजना में इसके एकीकरण के लिए टीओटी का आयोजन किया और जेंडर पर प्रशिक्षण के लिए मैनुअल विकसित किया और प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। वित्त वर्ष 2018-2019 में, 771 प्रतिभागियों ने आठ कार्यशालाओं और 12 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जेंडर पहलू पर प्रशिक्षण लिया है।

खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और डब्ल्यूएएसएच (एफएनएचडब्ल्यू) हस्तक्षेप

पोषण अभियान के अनुरूप, एनआरएलएम-आरसी सभी राज्यों को एनआरपी के समर्थन के

समर्थन कर रहा है। भोजन, पोषण, 1000 दिवस, स्वच्छता, संस्थागत प्रसव, पानी और सफाई के घटकों पर फोकस होगा। एसएचजी स्तर पर प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जाएगा कि कुपोषण, टीकाकरण आदि के प्रत्येक मुद्दे पर ग्राम संगठन (वीओ), सामाजिक कार्य समिति (एसएसी) का अनुसरण किया जाए। एनआरएलएम-आरसी के तहत, एफएनएचडब्ल्यू पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला और एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

राष्ट्रीय स्रोत व्यक्तियों (एनआरपी) की सेवाओं का उपयोग

एसआरएलएम को प्रणाली स्थापित करने और डीएवाई-एनआरएलएम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एसआरएलएम की आवश्यकता-आधारित और समय पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, एमओआरडी के समर्थन के साथ एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के संसाधन सेल ने अनुभवी और अर्हता प्राप्त पेशेवरों जिन्हें राष्ट्रीय स्रोत व्यक्ति (एनआरपी) कहा जाता है, उनका एक निकाय बनाया है।

वर्तमान में, 461 एनआरपी को एनआरएलएम-आरसी, एनआईआरडीपीआर द्वारा सूचीबद्ध किया गया है और वे देश भर में एसआरएलएम को आवश्यकता-आधारित पेशेवर सहायता प्रदान कर रहे हैं।

एनआरपी द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियों में नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन में एसआरएलएम का समर्थन करना, मौजूदा संस्थानों, एसएचजी, वीओ आदि को मजबूत करने में एसआरएलएम को आवश्यकता-आधारित अनुभव समर्थन प्रदान करना और एसएचजी-बैंक लिंकेज में मॉडल समूह स्तरीय संघों का विकास करना एनआरएलएम के भीतर जेंडर का एकीकरण में अभिमुखीकरण, जेंडर के लिए संस्थागत तंत्र और जेंडर कार्य योजना की तैयारी और अरक्षितता की कमी योजना में इसका एकीकरण शामिल है। एफएनएचडब्ल्यू के कुछ एनआरपी में से एसआरएलएम में एफएनएचडब्ल्यू गतिविधियों को सुदृढ़ करने में एसआरएलएम का समर्थन कर रहे हैं।

- एनआरएलएम सेल, एनआईआरडीपीआर
आवरण पृष्ठ डिजाइन: श्री. वी.जी. भट्ट



महिला संघों को धान खरीद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तौल मशीन का प्रदर्शन करने वाले अधिकारी साथ एफएनएचडब्ल्यू हस्तक्षेप करने के लिए

सतत ग्रामीण आजीविका के लिए कौशल, महिला सशक्तिकरण और ग्राम पंचायतों का विकास: एनआईआरडीपीआर का 61 वां स्थापना दिवस समारोह



एनआईआरडीपीआर के 61 वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान दीप प्रज्वलित करते हुए श्रीमती अलका उपाध्याय, आईएएस, अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। इनके अलावा (बाएं से दाएं) डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्री. टी.आर. रघुनन्दन, आईएएस (सेवानिवृत्त) और श्री.एस.के. पटनायक, आईएएस (सेवानिवृत्त) भी देखे जा सकते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) का 61 वां स्थापना दिवस समारोह 8 नवंबर, 2019 को मनाया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी ने मंच पर सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्राम पंचायतों के विकास में कौशल की भूमिका पर जोर दिया। श्री टी आर रघुनन्दन, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, श्री एस. के. पटनायक, आईएएस (सेवानिवृत्त), महानिदेशक, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, श्रीमती अलका उपाध्याय, आईएएस, अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, और श्री अरुण जैन, अध्यक्ष, इन्टेलेक्ट डिजाइन, एरिना लिमिटेड को समारोह के लिए गणमान्य व्यक्तियों के रूप में आमंत्रित किया गया था।

डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी ने भारत भर की पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) का स्वागत किया, जिन्हें एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में दो दिवसीय विचार-विमर्श में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।

डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी ने उल्लेख किया कि पंचायत

प्रणाली का विकास और इसके सदस्यों का सशक्तिकरण लोकतंत्र और ग्रामीण विकास की कुंजी है। भारत में 2055 लाख पंचायतों में से, लगभग 25 प्रतिशत महिला सरपंच हैं। विभिन्न शोध अध्ययनों से पता चला है कि पुरुषों की तुलना में इन महिलाओं की पंचायत तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित होती है। उन्होंने यह भी कहा कि केरल की अधिकांश ग्राम पंचायतें निधि, कार्यों और कार्यवाहियों से संबंधित उनकी उत्तम पद्धतियों के संदर्भ में आईएसओ प्रमाणित हैं।

ग्रामीण भारत में सभी संभावित अवसरों का लाभ उठाने के लिए, एनआईआरडीपीआर भारत भर में 'मिशन समृद्धि के माध्यम से 100+ क्लस्टर गांवों में ग्राम पंचायत विकास योजना' नामक एक विशिष्ट पीपीपी परियोजना पर काम कर रही है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 14 वें वित्त आयोग में परिकल्पित वित्तीय सहायता के कारण ग्राम पंचायतों में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है।

डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी ने कहा कि ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों को इससे बेहतर स्तर पर ले जाने के लिए तत्काल क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्राम पंचायतों को उन ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता है, जिनके पास

समाज में योगदान करने की अपार क्षमता है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 2015 में कौशल कार्यक्रम शुरू किए। इस प्रकार, गाँव के सरपंचों को अपने गाँव के संभावित युवाओं पर ध्यान देने और उन्हें कौशल कार्यक्रम से जोड़ने की आवश्यकता है। अंत में, उन्होंने टिप्पणी की कि पंचायत का सरपंच बनना भाग्य का विषय है और ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए ईश्वर प्रदत्त अवसर है।

ग्रामीण भारत में सतत कृषि आधारित आजीविका

इस अवसर पर श्री एस के पटनायक, आईएएस (सेवानिवृत्त), ने 'ग्रामीण भारत में सतत कृषि आधारित आजीविका' पर बात की। उन्होंने ग्रामीण परिवर्तन में एनआईआरडीपीआर की प्रत्यक्ष भूमिका और पंचायती राज क्षेत्र में इसके योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सरपंचों को वास्तव में विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है और देखना है कि उनके लाभ किसानों तक पहुंच रहे हैं। श्री पटनायक का मानना है कि बीज, उर्वरक, पानी, ऋण और बाजार तक निःशुल्क पहुंच स्थायी ग्रामीण आजीविका के लिए आवश्यक सामग्री है। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि सरपंचों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें अपनी आजीविका

के लिए ये सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक विशिष्ट बाजार आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, स्थायी ग्रामीण आजीविका मुख्य रूप से कृषि उपज के अतिरिक्त मूल्य पर निर्भर करती है, जिससे किसानों के लिए पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त होता है। मंडियों में मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त करने और किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने ई-एनएएम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि विपणन) की शुरुआत की, जिसमें किसान सीधे अपने उत्पाद बेच सकते हैं। उन्होंने ग्रामीण हाट के उचित कामकाज और प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि किसान अपने विपणन योग्य अधिशेष को बेच सकें।

ग्राम पंचायतों के विकास के लिए कौशल

इसके बाद, श्रीमती अल्का उपाध्याय, अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'ग्राम पंचायतों के विकास के लिए कौशल' पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि "चीन और दक्षिण कोरिया सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देकर समूह आधारित ग्राम विकास मॉडल का पालन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण आबादी की आजीविका में सुधार होगा।" श्रीमती अल्का ने उल्लेख किया कि भारत भी ग्राम पंचायतों के सतत आर्थिक विकास के लिए इस मॉडल को लागू कर सकता है। उन्होंने न केवल एक प्रशिक्षण संस्थान होने के नाते एनआईआरडीपीआर की प्रशंसा की, बल्कि डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, महानिदेशक के दूरदर्शी नेतृत्व में कई सरकारी कार्यक्रमों के लिए एक पेशेवर सहायता एजेंसी होने के लिए भी एनआईआरडीपीआर की प्रशंसा की।

ग्राम पंचायतों के स्थानीय आर्थिक विकास में पारदर्शिता और जवाबदेही की भूमिका

ग्राम पंचायतों के स्थानीय आर्थिक विकास पर बोलते हुए, श्री टी आर रघुनंदन, आईएसएस (सेवानिवृत्त), पूर्व संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि भारत में पंचायती राज की स्थिति कमजोर हो गई है और साल-दर-साल बिगड़ रही है। विकेंद्रीकरण को उसके वास्तविक रूप में, अभी भी ग्राम पंचायतों के स्थानीय विकास के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। पंचायत पदाधिकारियों को दिए गए अधिकारों के बावजूद, कानून के अनुसार, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर भारी मतभेद मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र

प्रदेश, ओडिशा राज्यों में जिला पंचायतों को कोई शक्तियां नहीं दी गई हैं, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में, जिला पंचायतें अत्यधिक शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। भले ही हर कोई स्थानीय शासन में विकेंद्रीकरण चाहता है, पंचायतों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का खेल बन गई है क्योंकि पंचायतों का समर्थन करने वाले सरपंच को हमेशा शिकायत रहेगी कि उच्च अधिकारी उन्हें पर्याप्त शक्तियां नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बार जब वह विधायक बन जाता है, तो वह उसी बात का विरोध करेगा/करेगी क्योंकि यह उसकी शक्तियों को कम कर देगा/देगी। भारत में विकेंद्रीकरण के भीतर राजकोषीय विकेंद्रीकरण की स्थिति कुछ अन्य देशों की तुलना में खराब है। स्थानीय निकायों में रिक्त पदों के सिर्फ हस्तांतरण से मौलिक कमियां गायब नहीं होंगी। प्रत्यायोजन, विसंकेन्द्रण और अंतरण के बीच स्पष्ट अंतर हैं। उन्होंने सभी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपनी पार्टी की संबद्धताओं के बावजूद विकेंद्रीकरण के मुद्दे का समर्थन करें। कानून के अनुसार, पंचायतों को स्थानीय विकास के लिए काम करने और कार्य करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मुख्य कारण पंचायतों को उचित निधियों की कमी और सरपंचों की ओर से कानून के बारे में जागरूकता की कमी है। जब तक हम करों को इकट्ठा करने के लिए एक प्रणाली तैयार नहीं करते हैं, ग्राम पंचायत एक आत्मनिर्भर संस्था नहीं बन सकती है और अन्य सरकारी एजेंसियों से निधियों पर निर्भर होगी। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास तभी संभव है, जब सरपंच कानून पढ़ें और अपने अधिकारों की मांग करें।

इसके अलावा, श्री टी आर रघुनंदन ने कहा कि "स्विट्जरलैंड में, राडो और ओमेगा घड़ियाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड हैं, का निर्माण पिछले 100 वर्षों से देश के ग्रामीण इलाकों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा किया जा रहा है। ओडिशा में, बुनकरों के पारंपरिक साड़ियों की मांग सीधे उपभोक्ताओं से की जा रही है। यह ग्रामीण आजीविका में सुधार करेगा यदि इस तरह के प्रयासों को पारंपरिक कला रूपों की रक्षा के लिए निरंतर और समर्थन किया जाता है।" ई-कॉमर्स के माध्यम से उचित बाजार लिंकेज के साथ उत्पादन में वृद्धि करके आधुनिक तरीकों से निर्मित पारंपरिक सामग्री ग्रामीण उद्योगों को बड़े पैमाने

पर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं के पास नवीनतम तकनीकों और विपणन की पहुंच है, जो निकट भविष्य में ग्राम पंचायतों को बदल देगा, यदि वे पारंपरिक कलाओं को बड़े पैमाने पर विकसित करते हैं।

ग्राम पंचायतों के आर्थिक विकास के लिए सुनियोजित दृष्टिकोण

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री अरुण जैन, अध्यक्ष, बुद्धि डिज़ाइन एरिना लिमिटेड ने ग्राम पंचायतों के सुनियोजित आर्थिक विकास के संदर्भ में एसईपीआईए कौशल, विशेषज्ञता, परिप्रेक्ष्य, विचार और संरक्षण पर विचार-विमर्श किया। श्री जैन ने ग्रामीण भारत की विकास संरचना में प्रशंसक और सकारात्मक विचार की भूमिका पर बल दिया। उनका मानना था कि एक ग्राम पंचायत का विकास एक कॉर्पोरेट फर्म के प्रबंधन के समान है। हालांकि, उन्हें लगता है कि गाँव के सरपंचों को अक्सर कॉर्पोरेट जगत में उनके समकक्षों के विपरीत प्रशिक्षण नहीं मिलता है।

ग्राम पंचायत के विकास में महिलाओं और बच्चों का महत्व

श्रीमती ज्योतिका कार्ला, सदस्य, एनएचआरसी ने कहा कि यदि नेता राजनीति को सही तरीके से देखते हैं और नेतृत्व की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा मंच है तो 'राजनीति' सर्वोच्च 'नीति' है। उन्हें लगता है कि 73 वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से महिलाओं के बीच नेतृत्व के गुणों को महत्व दिया गया है। पुरुषों के साथ उनकी समानता पर, महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों होना चाहिए इस बारे में उन्होंने बात की। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि कैसे पितृसत्तात्मक समाज ने जिम्मेदारी के नाम पर चार दीवारों के भीतर महिलाओं को सीमित कर दिया। भले ही महिलाओं को चुनावी राजनीति के माध्यम से जगह मिलती है, लेकिन महिलाओं की ओर से पुरुष शासन या कार्य करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि "यह एक सिद्ध तथ्य है कि महिला सरपंच अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। यह पाया गया है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि आंगनवाड़ी, जल निकासी प्रणाली, स्कूलों, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिनका ग्रामीण विकास के संदर्भ में बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव है।



सभा को संबोधित करते हुए श्री. टी.आर. रघुनंदन, आईएएस (सेवानिवृत्त); इनके अलावा (बाएं से दाएं) डॉ. सोनल मोबार रॉय, सहायक प्रोफेसर, सीपीजीएस, डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएफआईई, श्री. एस.के. पट्टनायक, आईएएस (सेवानिवृत्त), डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और डॉ. फ्रैंकलिन लल्लिन्कुमा, निदेशक (प्रशासन) एवं रजिस्ट्रार, एनआईआरडीपीआर

इसके अलावा, उन्होंने 2017 में राजनीतिक सशक्तिकरण प्रक्रिया में जेंडर गैप इंडेक्स पर राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा, वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति 144 देशों में 15 थी, और ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण के कारण ऐसा हो सकता है। राजनीतिक सशक्तिकरण के उनके अनुसंधान में, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, घूँघट और अंत्येष्टि चिता जैसे कुछ मुद्दों पर विचार किया जिनका समाधान राजनीतिक इच्छाशक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। पूर्व विदेश मंत्री, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज की अंत्येष्टि चिता और अंतिम संस्कार उनकी बेटी द्वारा किया गया था, उन्होंने कहा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि "यह उन महिलाओं को सबसे अधिक पीड़ित करता है; इसलिए, परिवर्तन महिलाओं के साथ शुरू होना चाहिए। "अगर महिलाएं बदल जाती हैं, तो राष्ट्र बदल सकता है।" "ग्रामीण भारत और महिलाओं को बदलने के लिए, महिला नेताओं को आगे आना चाहिए और बाधाओं के बावजूद समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए, ऐसा उन्होंने ने कहा।

ग्रामीण भारत में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और पंचायतों में सुशासन की

भूमिका

औरंगाबाद के पाटोदा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्री भास्कर पेरे पाटिल ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति के बावजूद 10-12 वर्षों के भीतर इसे आदर्श गाँव के रूप में विकसित करने में उनका बहुमूल्य अनुभव साझा किया। उन्होंने पाटोदा ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीणों और नेताओं के सक्रिय समर्थन, दूरदृष्टि, कार्यवाही और उपयुक्त इरादे से संपन्न - विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक उचित कार्यों की एक लंबी सूची साझा की। सुरक्षित पेयजल, स्मार्ट कार्ड वाले एटीएम, अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण, वर्षा जल के संरक्षण, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सौर ऊर्जा, बायोगैस, सीसीटीवी की स्थापना, बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान, वृक्षारोपण सहित पर्यावरण जागरूकता और पाटोदा में पंचायत कार्यालय की पहल 'प्लास्टिक निषिद्ध' जैसे कतिपय विकास संबंधी विषयों के बारे में उन्होंने बताया।

पाटोदा गाँव के विकास में योगदान करने वाले कारकों को जानने के लिए हर कोई उत्सुक होंगे। श्री पाटिल के अनुसार समुदाय के साथ निरंतर बातचीत और इन परिवर्तनों को चलाने के लिए

लोगों का विश्वास जीतना प्रमुख कारक हैं। उन्होंने कहा कि करों के संग्रह से गाँव के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार होने से स्वचालित ग्रामीण विकास होगा और ग्रामीणों और पंचायतों के सदस्यों को जिम्मेदार बनाया जाएगा। हर गाँव में, वर्ग और जाति के मतभेद देखने को मिलते हैं जो विकास के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन ग्रामीणों के साथ लगातार चर्चा और बातचीत के साथ, श्री पाटिल संवेदनशीलता, जागरूकता और सामुदायिक जुटाव के साथ नए कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सके।

श्री पाटिल सत्ता से बाहर होने के बावजूद प्रतिबद्ध, गतिशील और सक्रिय हैं। वह लगातार ग्रामीणों को रुचि लेने और विकासवादी कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के संघर्षों / मतभेदों को कैसे सुलझाया जाए, इस पर सवालियों का जवाब देते हुए, उन्होंने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को धैर्य और दृढ़ता बनाए रखते हुए लड़ते रहने की सलाह दी। श्री पाटिल के सोच-विचार बेहद आशावादी हैं; सभी महिला सरपंचों के लिए उनके अपने गाँवों में समान परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए उपयुक्त कारक और प्रेरणा प्रदान करते हैं।

एनआईआरडीपीआर में आयोजित ग्रामीण विकास पर चौथी राष्ट्रीय फिल्म समारोह



ग्रामीण विकास पर चौथी राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के दौरान दीप प्रज्वलित करते हुए श्री शशि भूषण, वित्तीय सलाहकार, एनआईआरडीपीआर; इनके अलावा (बाएं से दाएं) डॉ. राजकुमार उपाध्याय, एडीजी, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, दक्षिण क्षेत्र, श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राजेंद्र नगर, हैदराबाद में 20 नवंबर, 2019 को ग्रामीण विकास पर चौथी राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। एनआईआरडीपीआर 61 वां स्थापना दिवस के एक भाग के रूप में, इस कार्यक्रम का आयोजन युवा फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और ग्रामीण मुद्दों तथा ग्रामीण विकास पर आधारित फिल्मों और वृत्तचित्र फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था।

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में कहा कि फिल्में दर्शकों पर अत्यधिक प्रभाव डालती हैं और लोगों के बीच ज्ञान प्रदान कर सकती हैं।

“एक माध्यम के रूप में फिल्मों का देश भर में बड़े पैमाने पर प्रसार होता है। भारत में, फिल्में बड़ी संख्या में बनाई जाती हैं और यहां तक कि अवतार और मैट्रिक्स जैसी हॉलीवुड फिल्में भारतीय दर्शन से अपने विचारों को आकर्षित करती हैं। दादासाहेब फाल्के के राजा हरिश्चंद्र से लेकर बाहुबली के युग तक, भारतीय फिल्मों में एक सार्वभौमिक अपील है। फिल्मों ने दुनिया भर के

दर्शकों को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया ऐसा उन्हें लगता है।

एक ऐसी महिला सरपंच की मिसाल को याद किया जिसने अपने गाँव में मच्छरों से छुटकारा दिलाया था और गाँव में मच्छर दूढ़ने वाले को 1,000 रुपये देने की चुनौती दी थी। श्रीमती राधिका रस्तोगी ने कहा कि ऐसी दिलचस्प घटनाओं पर आधारित फिल्में बनाई जानी चाहिए।

एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी, आईएस, वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि भारत में सरपंचों के अभूतपूर्व कार्य करने के बावजूद, इस तरह के प्रयासों की कहानियां देश भर में मीडिया और अन्य लोगों तक पहुंचती हैं। “फिल्में बनाते समय इस तरह की पद्धतियों को चुना जाना चाहिए, क्योंकि फिल्में दर्शकों को प्रेरित करने के लिए सही माध्यम के रूप में काम करती हैं और वे युवाओं में सकारात्मक गुणों को विकसित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, दो लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक पहल की कि महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त इलाके रालेगण-सिद्धि में जल संचयन हो। अब, इस क्षेत्र में पर्याप्त पानी है; ऐसे कई कार्य हैं, जिन्हें फिल्म निर्माताओं को दिखाना चाहिए।

“अनुसंधान के लिए क्षेत्र में जाने के दौरान, स्रोत व्यक्ति कई तस्वीरें और वीडियो लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं और प्रकाशित नहीं करते हैं। यदि वे उन्हें कुछ समय के लिए एक साथ जोड़ते हैं और उसमें से एक कहानी बनाते हैं, तो यह वास्तव में सभी के लिए फायदेमंद होगा,” ऐसा डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी ने कहा।

इस आयोजन के मुख्य अतिथि डॉ. राजकुमार उपाध्याय, आईटीएस, अपर महानिदेशक, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, दक्षिण क्षेत्र ने कहा कि फिल्में दर्शकों के दिमाग पर लम्बे समय तक अपना प्रभाव बनाये रखती है।

“डेटा क्रांति के साथ, देश के हर गली और हर कोने में इंटरनेट उपलब्ध हो गया है। सरकार द्वारा सर्वोत्तम पद्धतियों पर अधिक फिल्में बनाई जानी चाहिए ताकि अधिकांश आबादी को उनके बारे में पता चले। भारत का अधिकांश हिस्सा गांवों में बसता है और यदि गांवों का विकास होता है, तो देश समावेशी रूप से प्रगति करेगा, ऐसा उन्होंने कहा।

ग्रामीण विकास के संबंध में कई विषयों पर विचार करते हुए, उन्होंने ग्रामीण कृषि क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों का अवलोकन किया।

डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने यह भी घोषणा की कि यदि निर्माता अपनी सहमति प्रदान करते हैं, तो दूरदर्शन सभी पुरस्कार विजेता फिल्मों और उन प्रविष्टियों को प्रसारित करेगा जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में आयोजित चौथे राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए प्राप्त हुई हैं।

डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, विकास प्रलेखन एवं संचार केंद्र और फिल्म समारोह के समन्वयक ने अवधारणा नोट प्रस्तुत किया।

इसके अलावा, गणमान्य व्यक्तियों ने पुरस्कार विजेता फिल्मों के साथ सीडी का विमोचन किया। इसके बाद मीडिया और अकादमिक क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों से पुरस्कार और पैनल चर्चा का वितरण किया गया। डॉ. राजकुमार उपाध्याय के साथ प्रोफेसर रेखा पांडे, हैदराबाद विश्वविद्यालय, सुश्री सीमा मुरलीधर, निदेशक-निर्माता, बीकन टीवी, मुंबई और सुश्री ज्योति कपूर दास, स्वतंत्र लेखक-निदेशक, मुंबई ने विचार-विमर्श में भाग लिया।

पैनल चर्चा 1: सरकारी योजनाओं का प्रसार: मीडिया और संभावनाओं की भूमिका

चर्चा की शुरुआत करते हुए, डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने कहा कि सरकारी योजनाओं की हमेशा मीडिया द्वारा आलोचना की जाती है। "लोगों के लाभ के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन उनमें से कितनी योजनाओं के बारे में जानते हैं। ऐसी सूचनाओं को प्रसारित करने की क्षमता मीडिया के पास है, "उन्होंने कहा।

उसी के साथ, सुश्री ज्योति कपूर दास ने कहा, 'हमलोग' दूरदर्शन पर पहली दैनिक धारावाहिक थी जिसमें समाज को चित्रित किया गया था जो उस समय की सबसे पहली धारावाहिक थी। इसके अलावा, हमने टेलीविजन श्रृंखला 'शांति' देखी, जिसने कई महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान समय में ऐसी प्रेरक और उत्साहजनक सामग्री की संख्या में कमी आई है।"

पैनल चर्चा 2: महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने में सिनेमा की प्रभावशीलता

चर्चा के कारण अकादमिक प्रसंग को जोड़ते हुए, प्रोफेसर रेखा पांडे ने कहा कि फिल्में और विज्ञापन महिलाओं को पुरुष के लिए खानपान प्रबंध में उपयोगी वस्तु के रूप में पेश करते रहे हैं।

"स्क्रीन पर या विज्ञापनों में महिलाओं को कैसे चित्रित किया जाता है, इसमें बदलाव होना चाहिए। कई महिलाएं जोला पुस्तकालयों के माध्यम से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करके अन्य महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं," ऐसा उन्होंने बताया।

सुश्री सीमा मुरलीधर ने राष्ट्र की प्रगति के लिए विज्ञान संचार के महत्व के बारे में बताया।

सीमा मुरलीधर ने कहा, "महिलाओं को कमजोर के रूप में चित्रित किया जाता है। कई महिला वैज्ञानिक और बैंकर, वकील हैं जो अपने करियर में काम कर रही हैं, लेकिन महिलाओं को केवल तब दिखाया जाता है जब वे मासिक धर्म या वर्जित मुद्दों के बारे में

बात कर रही होती हैं।"

समारोह के चौथे संस्करण के लिए, प्रविष्टियों को दो श्रेणियों में आमंत्रित किया गया था - (i) ग्रामीण विकास पर सरकार की योजनाएँ (वृत्तचित्र) और (ii) ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की फिल्में (कथा)। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र के साथ क्रमशः 50,000, 25,000 और 15,000 रु. पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया।

सांस्कृतिक निरंतरता - ग्रामीण से शहरी / हासमान विभाजन - ग्रामीण से शहरी - विषय पर एक मोबाइल फिल्म निर्माण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। कुल मिलाकर, देश भर के 18 राज्यों से 55 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं।

श्री सी. जी. श्रीगूहा, फिल्म संपादक, हैदराबाद, डॉ. पी. केनेडी, एसोसिएट प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय और श्री रिजवान अहमद, निदेशक, इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के निर्णायक मंडल ने प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया। निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से कहा कि अधिकांश प्रस्तुतियाँ शिल्प, पटकथा और प्रस्तुति के संबंध में अच्छी गुणवत्ता की थीं। उन्होंने कहा कि कथा श्रेणी में प्राप्त प्रविष्टियों में वृत्तचित्रों से बेहतर तालमेल था।

डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, विकास प्रलेखन एवं संचार केंद्र ने धन्यवाद प्रस्ताव अर्पित किया। दोपहर के भोजन के बाद, पुरस्कृत विजेता फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई।



पैनल चर्चा के दौरान दर्शकों को संबोधित करते हुए सुश्री सीमा मुरलीधर; (दाएं से बाएं) प्रोफेसर रेखा पांडे, डॉ. राजकुमार उपाध्याय, ज्योति कपूर दास और डॉ. आकांक्षा शुक्ला

Category-1: Government Schemes on Rural Development (Documentary)		
Name of the Movie	Producer/Director	Duration
1st Prize – Village of Lesser God	Shri Ananth Narayan Mahadevan	24 Min
2nd Prize – Banchara: The Rising Village	Shri Manoj Patel	12:30 Min
3rd Prize – SAGY Success Story, Tingvong Panchayat, Sikkim	Shri Anupam Shrivastav	05:06 Min
Category-2: Film under different genres related to Rural Development (Fiction)		
1st Prize – Mamatva	Ms. Kirti	30:16 Min
2nd Prize – Free Fair Fearless	Ms. Aarti S. Bagdi	06:05 Min
3rd Prize – Cilantro's Picnic	Shri Abhijeet Saha	19:40 Min
Category 3: Thematic Mobile Film Contest		
1st Prize – I am that Change	Shri Karthik Krishna	03:28 Min
2nd Prize – Vattu (Bit of Meal)	Shri Ananthu S.	04:59 Min
3rd Prize – No Divide	Shri Dharmaraj	03:07 Min

सीगार्ड, एनआईआरडीपीआर द्वारा नियोजन और प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भू-संसूचना विज्ञान और आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक



श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहले पंक्ति में दाईं ओर से चौथे), डॉ. पी. केशव राव, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (पहले पंक्ति में दाएं से तीसरे), एच. के. सोलंकी, सहायक प्रोफेसर (पहले पंक्ति में बाईं ओर से पहले), डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद, सहायक प्रोफेसर (दूसरी पंक्ति में बाईं ओर से पहले), और डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर सीगार्ड (पहले पंक्ति में दाएं से पहले), साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागी

ग्रामीण विकास में भू-संसूचना अनुप्रयोग केंद्र (सीगार्ड), नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए एशिया एवं पैसिफिक केंद्र (सीडीपी) के सहयोग से 20 से 29 नवंबर, 2019 के दौरान एनआईआरडीपीआर में 'योजना और प्रबंधन के लिए भू-संसूचना विज्ञान और आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक' पर 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन एनआईआरडीपीआर की उप महानिदेशक (डीडीजी) श्रीमती राधिका रस्तोगी ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में, उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए संसाधनों की योजना, निगरानी और प्रबंधन के लिए विकास में आवश्यक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और सूचना के महत्व पर जोर दिया और भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विभिन्न कार्यों के दोहराव से बचने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही के लिए जियोटैगिंग के महत्व पर प्रकाश डाला। पाठ्यक्रम निदेशक, डॉ. केशव राव ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के उद्देश्य, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रशिक्षण विधियों आदि की जानकारी दी।

चर्चा के बाद प्रत्येक प्रतिभागी ने उनके देश के बारे में विशेष रूप से प्रोफाइल, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पहल, कार्यक्रमों, उपलब्धियों, नवाचारों, चुनौतियों और विभिन्न क्षेत्रों में भू-संसूचना के उपयोग के बारे में

प्रस्तुतियां दीं। जिसके बाद परिचर्चा की गई।

इन प्रस्तुतियों ने प्रतिभागियों को विभिन्न देशों के बारे में जानने का मौका दिया और अपने-अपने देशों में कुछ पहल की योजना बनाने में मदद की। पाठ्यक्रम टीम द्वारा क्लासरूम सत्र आयोजित किए गए थे, जिनमें भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में काम कर रहे राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वरिष्ठ वैज्ञानिक थे। सत्रों में भारत के अभिनव और उत्कृष्ट पद्धतियां शामिल थीं। रोबोटिक टोटल स्टेशन, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स (डीजीपीएस), ड्रोन सर्वेइंग और मैपिंग जैसी विभिन्न आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों पर उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शन और हैंडहोल्डिंग सत्र का अनुपालन किया गया।

कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, प्रतिभागियों ने भारतीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) जैसे अनुसंधान केंद्रों का दौरा किया, जहां उन्हें सुनामी चेतावनी स्थल के वास्तविक समय की कल्पना करने का अवसर मिला। उन्होंने संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र मानचित्रण के बारे में सीखा और आईएनसीओआईएस के डेटा रिसेप्शन स्टेशन पर एका और टेरा उपग्रह से उपग्रह डेटा अधिग्रहण को भी देखा। प्रतिभागियों ने तेलंगाना राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र (टीआरएसी), हैदराबाद का दौरा किया, जहां राज्य से लेकर ग्रामीण स्तर की

योजना और विकास के लिए स्थानिक तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी), एनआईआरडीपीआर के दौरे ने उन्हें ग्रामीण प्रौद्योगिकियों पर वैयक्तिक रूप से अनुभवों को समझने और अनुमान लगाने में मदद की।

समापन सत्र की अध्यक्षता श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने की। पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा पाठ्यक्रम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। प्रतिभागियों ने व्यक्त किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर की योजना और जमीनी स्तर पर विभिन्न योजना और विकास कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए उपयोगी था।

आठ देशों, अर्थात् बांग्लादेश, फिजी, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और वियतनाम के लगभग 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वे मध्यम स्तर के और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे, जो अपने-अपने देशों में विकास प्रशासन, नीतियों और विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने में लगे हुए थे।

इस पाठ्यक्रम को डॉ. पी. केशव राव, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर, एच. के. सोलंकी, सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ) और डॉ. एन एस प्रसाद, सहायक प्रोफेसर, सीगार्ड, एनआईआरडीपीआर द्वारा समन्वित किया गया।

सीगार्ड एनआईआरडीपीआर और सहगल फाउंडेशन द्वारा बेहतर ग्रामीण शासन और नागरिकों की सहभागिता पर 9 वीं वार्षिक कार्यशाला



प्रोफेसर ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (पहली पंक्ति में बाईं ओर से चौथी) और डॉ. के. प्रभाकर, सहायक प्रोफेसर (पहली पंक्ति में दाईं ओर से तीसरे), सुशासन और नीति विश्लेषण केंद्र इनके साथ ही कार्यशाला के अन्य प्रतिभागी

सुशासन एवं नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजी एवं पीए), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान और सहगल फाउंडेशन, गुरुग्राम ने संयुक्त रूप से 6 नवंबर, 2019 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में 'ग्रामीण भारत में जल शासन: संभाव्यता, पद्धतियाँ और नीति' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। सम्मेलन में हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों के कुल ७१ प्रतिभागियों ने भाग लिया। वे एनजीओ, अनुसंधान, शिक्षा, प्रबंधन, नीति संस्थानों, जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन पेशेवरों, किसान समूहों, सामुदायिक नेताओं, पीआरआई सदस्यों और विभिन्न विविध समूहों से संबंधित थे।

इस सम्मेलन का उद्देश्य उन हितधारकों के बीच समझ साझा करना, सहकर्मि शिक्षा, और सहयोगी साझेदारी को विकसित करना है, जो उक्त विषय के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। समुदाय संचालित जल के हस्तक्षेपों को विकसित करने के लिए व्याप्ति की पहचान करने, प्रमुख नीतिगत सिफारिशों, सुशासन के सिद्धांतों पर आधारित सफल जल प्रबंधन पद्धतियों को उजागर करने पर विचार-विमर्श किया गया, जो पारिस्थितिक रूप से सही, जेंडर-संवेदनशील और न्यायसंगत हैं।

सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य थे:

- जल शासन के दायरे की पहचान करना और समान रूप से जल संरक्षण और वितरण के लिए समुदाय संचालित जल प्रबंधन पद्धतियाँ

और संरचनाओं को समय से पहले बनाए रखना।

- प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर सुझाव देना और सिफारिशें देना।
- ग्राम स्तरीय जल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी पर नीति निर्माताओं, पेशेवरों, सामुदायिक नेताओं, ग्राम पंचायतों और कॉर्पोरेट्स के बीच अनुबंध को बढ़ावा देना।
- भारत के विभिन्न हिस्सों से प्रतिकृति और स्तर के लिए जल प्रबंधन नवाचारों पर ज्ञान और अनुभव साझा करना।

पानी के समान पहुंच को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों से ज्ञान, विशेषज्ञता और पद्धतियों को साझा करने के लिए तकनीकी सत्र के बाद जल प्रबंधन और संचालन के क्षेत्र में विशेषज्ञों के एक पैनल के साथ सम्मेलन का समापन सत्र शुरू हुआ।

उप-विषय

निम्नलिखित उप विषयों पर प्रमुख हितधारकों के बीच संभावित सहयोग के लिए भागीदारी बढ़ाने और मार्ग प्रशस्त करने के लिए सम्मेलन के तकनीकी सत्रों की रचना की गई:

1. जल को बनाये रखने में नागरिक भागीदारी के लिए अभिनव पद्धति और दृष्टिकोण
2. प्रभावी जल प्रबंधन में समुदायों और संस्थानों की भूमिका
3. जल संचालन तंत्र के लिए नीतिगत पहल

स्वागत और समापन सत्र की शुरुआत प्रोफेसर ज्ञानमुद्रा, अध्यक्ष, सीजीजी एवं पीए, एनआईआरडीपीआर ने कार्यशाला के सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए की। उन्होंने सत्र के अंत में अच्छी नीति सिफारिशों की उम्मीद जताई। प्रोफेसर ज्ञानमुद्रा ने क्षेत्रीय और स्थानीय संसाधन केंद्रों के नेटवर्क के साथ देश भर में संस्थान की व्यापक पहुंच पर बात की। सुश्री अंजलि माखीजा, मुख्य परिचालन अधिकारी, सहगल फाउंडेशन, ने अपने संबोधन और परिचय में संगठन के बारे में विस्तार से बताया कि सहगल फाउंडेशन तीन केंद्रीय क्षेत्रों, अर्थात् जल, कृषि और ग्रामीण सुशासन जैसे सभी मुद्दों पर महिलाओं के साथ कैसे काम करता है।

अपने संबोधन में, उन्होंने विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से मांग और आपूर्ति पक्ष में जल प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर जल की समस्या का समाधान करने में संस्थागत तंत्र बनाने के लिए दबाव की आवश्यकता है। "प्रभावी जल संचालन के लिए, सामुदायिक भागीदारी और भूजल पर ग्राम विकास समितियों (वीडीसी) के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए। मजबूत नीतियों की वकालत करने और जल संरक्षण गतिविधियों पर नीतिगत सिफारिशें करने में हितधारकों को शामिल करने, और गतिविधियों के प्रभाव की निगरानी, मूल्यांकन और निर्धारण करने की आवश्यकता है, "ऐसा उन्होंने अंत में बताया।



कार्यशाला के सत्र का दृश्य

डॉ. राजशेखर, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने डिजिटल इंडिया पर भारत सरकार के कार्यों पर बात की। उन्होंने ई-गवर्नेंस के लिए सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। "डिजिटल इंडिया पोर्टल में, जल संरक्षण, उत्कृष्ट पद्धतियाँ, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, मनरेगा और गरीबी उन्मूलन पर डेटा उपलब्ध हैं," ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने जोर दिया कि प्रौद्योगिकी बदल रही है और नागरिकों के मुद्दों के प्रति दिशा-निर्देशों को बदलने की जरूरत है, और सिर्फ सरकारी निकायों की रक्षा नहीं करनी चाहिए।

सत्र -1: जल संरक्षण में नागरिक भागीदारी के लिए अभिनव पद्धतियाँ और दृष्टिकोण

इक्रीसैट के डॉ. कौशल ने यमुना घाटी, बुंदेलखंड में वाटरशेड परियोजनाओं पर अपने अनुभव साझा किए और इस परियोजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाले लाभों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रभावी जल प्रबंधन के लिए, वाटरशेड संरचनाओं की तकनीकी चीजों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विनोद पावराला ने सामाजिक परिवर्तन, बेहतर नागरिक भागीदारी और सार्वजनिक भागीदारी या हितधारकों के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए संचार की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वास्तविक भागीदारी का अर्थ है, अव्यावहारिक भागीदारी के बजाय, जहां लोग उनके द्वारा अर्जित प्रायोगिक शिक्षा और ज्ञान के आधार पर सहयोग करते हैं, कार्यों का संचालन करते हैं। संचार प्रक्रिया में केवल प्रसार के बजाय आईईसी सामग्री, ज्ञान-साझाकरण शामिल होना चाहिए।

ग्रामालय के श्री दामोदरन ने बताया कि योजना, निगरानी, जल परियोजनाओं के मूल्यांकन के दौरान अधिक सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और सीबीओ के माध्यम से निधियों की व्यवस्था की जा सकती है।

फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्वोरिटीज (एफईएस), आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल प्रशासन पर काम करने वाले एक संगठन के श्री रमेश बाबू ने जल संरक्षण पर एक मामला अध्ययन प्रस्तुत किया। "ट्रेंडलाइन विश्लेषण, साँप और सीढ़ी खेल, भूजल खेल, जल स्तर मैपिंग और फसल जल बजट के रूप में विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके प्रभावी जल संचालन किया जाता है," उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि बेहतर जल संचालन के लिए, वाल्टा अधिनियम (जल, भूमि और वृक्ष अधिनियम) का पालन करने के लिए मंडल / ब्लॉक स्तर के राजस्व अधिकारियों के साथ बातचीत एक महत्वपूर्ण कारक है।

सत्र- II: ग्रामीण भारत में प्रभावी जल प्रबंधन में समुदायों और संस्थानों की भूमिका

इक्रीसैट (ICRISAT) के डॉ. थॉमस फॉक ने जल शासन पर समुदायों की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस संदर्भ में फिट होने और समुदायों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। उसी समय, उन्होंने दोहराया कि भूजल और इसकी मात्रा की भी निगरानी करना मुश्किल है।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के श्री श्रीनिवास सूरीशेट्टी ने जल संचालन में सीबीओ की भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने व्यक्त किया कि

समुदायों और संस्थानों को लंबे समय तक पानी का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि "जब ये संस्थान मजबूत होते हैं, तो समुदाय मजबूत होते हैं। सीबीओ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनकी क्षमताओं को मजबूत संस्थानों और स्थिरता के लिए बनाये रखना चाहिए।"

अर्घ्यम के श्री हर्षवर्धन धवन ने वाटरशेड विकास में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए सुलभ प्रशिक्षण पर जोर दिया, जिससे सफल स्व-प्रशासन हो सके। उन्होंने सिक्किम धारा विकास कार्यक्रम और आर्सेनिक और फ्लोराइड नॉलेज और एक्शन नेटवर्क जैसी परियोजनाओं में केंद्रित प्रयासों के माध्यम से सार्वजनिक नीति में उनकी परियोजनाओं को समाहित करने में अर्घ्यम की सफलता का संक्षेप में वर्णन किया।

वाटर एड के श्री हिरुदिया राज ने सुरक्षित पेयजल के लिए दीर्घकालिक पहुंच की दिशा में समुदायों के निर्माण पर जोर दिया। बहिष्कृत और सीमांत वर्गों को शामिल करने की आवश्यकता है। संरक्षण कार्यक्रमों के लिए अवसरचना समर्थन, समुदायों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित करने और सामुदायिक प्रबंधन योजना बनाने के माध्यम से जल संचालन संभव है।

एनआईआरडीपीआर के डॉ. राजेश के. सिन्हा ने जल संबंधित परियोजनाओं के प्रबंधन और संचालन के लिए संस्थागत ग्राम पंचायतों की निर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ग्राम पंचायत के कामकाज में विकेंद्रीकृत निधिपोषण की कमी जैसी बहुविध चुनौतियों की बात की/रेखांकित किया और जीपीडीपी में पानी के मुद्दों के न होने पर पानी के मुद्दों को केंद्रीकृत करने की कमी को सोदाहरण स्पष्ट किया।

सत्र- III: जल शासन के लिए नीतिगत पहल

अर्घ्यम की सुश्री सुरभि अरुल ने नीतिगत रूपरेखा तैयार करने में लोगों की भागीदारी के बारे में बात की। चूंकि भूगोल, संस्कृति, देश आदि के आधार पर पानी का व्यवहार अलग-अलग तरह से होता है, इसलिए डेटा की कमी के कारण जल संसाधनों पर योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। डॉ. अंजल प्रकाश, टीईआरआई ने आईपीसीसी द्वारा प्रकाशित ओसियन एंड क्रायोस्फीयर पर एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की और जलवायु-अनुकूल अवसरचना के निर्माण पर जोर दिया।

सहगल फाउंडेशन की सुश्री नीती सक्सेना ने कुछ सवाल को सामने रखा, जैसे कि क्या नीति के लिए अभ्यास चल रहा है या नीति अभ्यास के लिए अग्रणी है? क्यों जल संचालन एक मुद्दा है और क्यों समुदाय या समाज नीति निर्माताओं को प्रभावित करने में सक्षम नहीं है? तात्पर्य यह है कि इन मुद्दों का निपटान करने के लिए इस क्षेत्र में प्रभावी ग्रामीण जल संचालन के लिए काम करने की अधिक गुंजाइश है। सहगल फाउंडेशन के श्री सलाउद्दीन सैफी ने कहा कि जल प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत प्रणाली प्रभावी है और सहगल फाउंडेशन के जमीनी अनुभवों को भी उन्होंने साझा किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि जल प्रबंधन समिति, टीयूजी टैंक उपयोगकर्ता समूहों के गठन में समुदाय कैसे शामिल था, और वे परियोजना प्रबंधन का ध्यान कैसे रखते हैं।

समापन सत्र के दौरान, एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी ने जल शासन, विशेषकर समुदाय और साथ ही समाज के विकास के लिए समुदाय आधारित ग्रामीण जल संचालन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक

भागीदारी एक कठिन शब्द है और इसका सक्षम हिस्सा कठिन है। यदि हम समुदाय के साथ विशेष समय बिताते हैं, तो हम समुदाय का विश्वास प्राप्त करते हैं। अंत में, उन्होंने एक दिवसीय सम्मेलन और जल कार्यक्षेत्र के क्षेत्र में एनआईआरडीपीआर के साथ पहल करने और काम करने के लिए सहगल फाउंडेशन के प्रयासों का मूल्य निरूपित किया।

महत्वपूर्ण परिणाम

- परियोजना चक्र के सभी चरणों में समुदाय की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है और समुदाय को विभिन्न भागीदारी उपकरण, खेल, प्रशोत्तरी, आदि का उपयोग करना चाहिए।
- डब्ल्यूएमजी, टीयूजी, वीडिजी आदि जैसे ग्रामीण स्तर के संस्थानों का गठन और सुदृढीकरण, हस्तक्षेपों के दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए सामुदायिक संस्थानों को परिचालन एवं रखरखाव मुद्दों पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- तकनीकी रूप से सार्थक हस्तक्षेप को लाभ

अधिकतम करना चाहिए और संचालन एवं रखरखाव के मुद्दों को कम करना चाहिए।

- भूजल के नियंत्रण और शोषण पर कानून का अभाव अंधाधुंध शोषण और संघर्ष पैदा कर रहा है। सभी स्तरों पर जल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है और नीति के प्रभावी अनुपालन के लिए सख्त निगरानी, मार्गदर्शन और जागरूकता की आवश्यकता है।
- जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्थानीय समुदायों और संगठनों को नीति निर्माण और आवश्यक परिवर्तनों के लिए राज्य / केंद्रीय स्तर पर उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ अपनी विषयों और मुद्दों को उठाने के लिए दबाव समूह बनाने की आवश्यकता है। इस एक दिवसीय कार्यशाला का समन्वयन डॉ. के. प्रभाकर, सहायक प्रोफेसर, डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीजीजी एवं पीए, एनआईआरडीपीआर और श्री पवन कुमार, निदेशक, कृषि विकास और सुश्री शिप्रा बदौनी, सहगल फाउंडेशन, गुरुग्राम द्वारा किया गया।

एनआईआरडीपीआर में बाल दिवस समारोह



बाएं से दक्षिणावर्त: बाल दिवस समारोह के दौरान भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम के बच्चे और एनआईआरडीपीआर का सीडीसी स्टाफ; बच्चों के साथ बात करते हुए श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएस, उप-महानिदेशक; विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी, आईएस, महानिदेशक

पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, 14 नवंबर, भारत में हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के अनुरूप, 15 नवंबर, 2019 को पुस्तकालय भवन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में बाल दिवस मनाया गया।

समारोह के भाग के रूप में, दिए गए पाठ को पढ़ने, दिए गए विषय पर बोलने और प्रख्यात व्यक्तित्वों की पहचान उनकी तस्वीरों द्वारा करने की एक मनोरंजनापरक प्रतियोगिता का आयोजन एनआईआरडीपीआर परिसर में भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम के छात्रों के लिए किया गया था।

प्रतियोगिता में कक्षा 5 वीं से 9 वीं तक के कुल 55 छात्रों ने भाग लिया। डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी, आईएस, महानिदेशक, और श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएस, उप महानिदेशक एनआईआरडीपीआर द्वारा विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

श्रीमती राधिका रस्तोगी ने छात्रों को संबोधित करते हुए वर्तमान पीढ़ी में घटती जा रही पढ़ने की आदत में गिरावट पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गतिशील छवियों की तुलना में पढ़े जाने वाले पाठ को लम्बे समय तक याद रखने की क्षमता मस्तिष्क में होती है। "पुस्तकों में वह ज्ञान होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा वर्षों से प्राप्त किया जाता है। वे हमें अपने विचारों को सही ठहराने के लिए स्थान देते हैं ऐसा उन्होंने कहा और बच्चों से टीवी/मोबाइल स्क्रीन देखने के समय को कम करने और आसपास के लोगों के साथ अधिक समय बिताने का आग्रह किया। उन्होंने पुस्तकालय को ज्ञान के भण्डार के रूप में संदर्भित किया।

छात्रों से बात करते हुए, डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी के बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं है, वे टेलीविजन और मोबाइल फोन में व्यस्त हैं। उन्होंने अपने बचपन का एक किस्सा साझा किया, "कुछ अन्य दोस्तों के साथ गाँव के बाहरी इलाके में, मैं डाकिया के आने का इंतजार कर रहा था, जो बच्चों के लिए बनी एक मासिक पत्रिका चंदामामा का नया संस्करण लेकर आया। हम डाकिया के साथ उस घर की ओर दौड़े जहाँ उसे पहुँचाया गया और उनके घर में बैठकर दो कहानियाँ पढ़ीं। हमें दो दिनों तक इंतजार करना पड़ा ताकि प्रतिलिपि के मालिक इसे पूरा पढ़ें। बाद में, हम इसे पूरी तरह से पढ़ने के लिए उससे उधार लेंगे।"

एक नौकरशाह का हवाला देते हुए, डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह एक किताब पढ़नी चाहिए। बाद में, उन्होंने प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को बधाई दी।

श्रीमती एम. पद्मजा, वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य लोगों में डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी, डॉ. पी. अनुराधा, सहायक प्रोफेसर, सीडब्ल्यूई, बीवीबीवी, सीडीसी और सीडब्ल्यूई के कर्मचारी थे।

- सीडीसी पहल

स्त्री निधि : भारतीय सूक्ष्म वित्त पोषण क्षेत्र में एक डिजिटल नवोन्मेषण



श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति में दाईं ओर से चौथे) और डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (पहली पंक्ति में बाईं ओर से पहले) तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में 01 से 02 नवम्बर 2019 को 'स्त्री निधि : भारतीय सूक्ष्म वित्त पोषण क्षेत्र में एक डिजिटल नवोन्मेषण' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वित्तपोषित इस सम्मलेन का उद्देश्य 'स्त्री निधि : भारतीय सूक्ष्म वित्त पोषण क्षेत्र में एक डिजिटल नवोन्मेषण' शीर्षक के अनुसंधान अध्ययन को सुकर बनाना था। वर्ष 2010 में सूक्ष्म वित्त पोषण संकट के बाद स्त्री निधि, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में एक विघटनकारी नवाचार है।

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की यात्रा में सहायक स्त्री निधि की भूमिका की

सराहना की। सम्मानित अतिथि, श्री जी विद्यासागर रेड्डी, प्रबंध निदेशक, स्त्री निधि, तेलंगाना ने स्त्री निधि की स्थापना के बाद से उसकी अब तक की यात्रा साझा की है। उन्होंने स्त्री निधि की सफलता और निधियों की कम लागत में परिचालन आधारित दक्षता, समुदाय आधारित संगठनों की ताकत, प्रौद्योगिकी और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को उत्तरदायी ठहराया।

मुख्य अतिथि, श्री एन पी महापात्रा, मुख्य महाप्रबंधक, आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग, नाबार्ड ने वित्तीय समावेशन में नाबार्ड की भूमिका के बारे में बताया और उनके अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सहित लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रत्येक नीति वित्तीय समावेशन और

सशक्तिकरण की ओर अग्रसर रहती है। उन्होंने नाबार्ड के "ईशक्ति" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से एसएचजी के डिजिटलीकरण में अपना विश्वास व्यक्त किया, जो माइक्रोफाइनेंस के स्थान में गेम चेंजर है। 17 अक्टूबर, 2019 तक, ईशक्ति ने 7,801 करोड़ रुपये बैंक ऋण के साथ 100 जिलों में 4.44 लाख एसएचजी को कवर किया। हैदराबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. देवाशीष आचार्य ने डिजिटल वित्तीय उत्पादों के उत्थान से संबंधित मुद्दों के बारे में बात की, डिजिटल लेनदेन की स्थिरता के लिए सुरक्षा और विश्वास के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार, उद्देश्य यह होना चाहिए कि नकदी रहित अर्थव्यवस्था के बजाय भुगतान विकल्पों में नागरिकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने वाली कम नकदी अर्थव्यवस्था को प्राप्त किया जाए।

समापन सत्र के दौरान, सम्मानित अतिथि, श्री पी. रामाराव, एमडी, स्त्री निधि, आंध्र प्रदेश ने कहा कि डिजिटल तकनीक के अनुकूलन ने स्त्री निधि को उसके सदस्यों के लिए पारदर्शी तरीके से और कम लागत पर आसानी से सुलभ वित्तीय उत्पाद / संस्था बना दिया है।

मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता, प्रोफेसर एम एस श्रीराम ने भारत के अन्य हिस्सों में स्त्री निधि के मॉडल की दोहराने की निरंतरता और संभावनाओं के विषय पर चर्चा की; उन्होंने कहा कि किसी भी विकास मॉडल / योजना को दोहराया नहीं जा

सकता है, क्योंकि इसका प्रदर्शन विभिन्न कारणों और पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है। प्रोफेसर श्रीराम के अनुसार, स्त्री निधि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से एसएचजी की परिपक्वता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण सफल रही।

स्त्री निधि, आंध्र प्रदेश के पूर्व एमडी श्री रघुनाथ रेड्डी और श्री के. वी. सत्यनारायण ने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। श्री के. वी. सत्यनारायण ने टिप्पणी की, "समुदाय, सरकार और नेतृत्व, स्त्री निधि के तीन स्तंभ हैं"।

संगोष्ठी में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उद्योग और अकादमिक समुदाय से स्रोत व्यक्तियों और प्रतिभागियों के ज्ञान और अनुभवों को साझा करने का उद्देश्य था। महाराष्ट्र से साधन मवीम और लेजर ब्लॉक निगम ने भाग लिया और अपने सूक्ष्म वित्त पोषण मॉडल साझा किए। विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, कॉर्पोरेट और गैर-सरकारी संगठनों के संकाय सदस्यों और व्यक्तिगत अनुसंधान विद्वानों ने भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए। सम्मेलन का समन्वयन डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएफआईई, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया था।

हाथ से मैल ढोने वाली महिलाओं को इन कामों से मुक्त करने की दिशा में एनआईआरडीपीआर में आजीविका विविधीकरण पर प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन



डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति में दाईं ओर से चौथे) डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (पहली पंक्ति में दाईं ओर से तीसरे) और डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, सीएचआरडी (दूसरी पंक्ति में दाईं ओर से पहले) तथा कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागी

मानव संसाधन विकास केंद्र (सीएचआरडी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने 4 से 6 नवंबर, 2019 तक तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मैला ढोने वाली महिलाओं को इन कामों से मुक्ति दिलाई गई ताकि उनके जीने के तरीके में सुधार लाने का उद्देश्य से उन्हें वैकल्पिक जीवनयापन का विकल्प दिया जा सके। इस कार्यक्रम का आयोजन सीएचआरडी, एनआईआरडीपीआर के सहायक प्रोफेसर डॉ. लखन सिंह ने किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में नागपुर, महाराष्ट्र की कुल 19 महिलाओं ने भाग लिया। अतीत में, सभी महिलाओं ने 20 वर्षों से अधिक समय तक शारीरिक रूप से मेहतर के रूप में काम किया था। ऐसे काम में जुड़े रहने के कारण उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है। यहां तक कि पेशे को छोड़ने के बाद, वे घर की सफाई या सार्वजनिक स्थानों की सफाई के अलावा आजीविका के अन्य स्रोत नहीं खोज सकते थे। इस

वजह से, उनमें से अधिकांश अब सफाई करमचारी के रूप में काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के उद्देश्य थे:

1. एनआईआरडीपीआर के ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में उपलब्ध आजीविका विविधीकरण अवसरों के प्रकार प्रतिभागियों को दिखाना जिनसे वे प्रशिक्षित हो सकते हैं।
2. आवश्यक प्रशिक्षण और व्यावहारिक व क्रियाशील अनुभव प्रदान करने के लिए आरटीपी में पसंद का उद्यम कार्य चुनने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना।

एक प्रतिभागी, श्री प्रदीप हजारे, जो पूर्व मेहतर थे, ने कहा कि उन्होंने दोस्तों और समाज से भेदभाव का सामना करने के बाद शारीरिक रूप से मेहतर का काम छोड़ने का फैसला किया और बाद में इन लोगों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। श्री प्रदीप हजारे वर्तमान में जन जागृति आवाहन समिति के सदस्य हैं, जो नागपुर से बाहर काम करने वाली संस्था है, जो शारीरिक रूप से मेहतर का

काम करने वालों और सफाईकर्मियों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए काम करती है।

तीन दिनों के दौरान, फर्श की सफाई के साधन और शौचालय की सफाई के साधन तैयार करने में उन्हें कैंपस के ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में प्रशिक्षित किया गया। एनआईआरडीपीआर परिसर में उनके मुकाम के पहले दिन, उन्होंने एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी के साथ बातचीत की। महानिदेशक ने उन्हें यह कहकर प्रेरित किया कि उनकी अगली पीढ़ी को शारीरिक रूप से मेहतर के काम में शामिल नहीं होना चाहिए।

बाद में, प्रशिक्षण समन्वयक डॉ. लखन सिंह ने प्रतिभागियों को कानूनों, अधिनियमों और लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जो सरकार ने उनके लिए शुरू की हैं। तीसरे दिन, डॉ. लखन सिंह ने उनके जीवन की समस्याओं पर स्पष्ट चर्चा की।

सतत ग्रामीण आजीविका के लिए विज्ञान उन्मुख गोशाला प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



डॉ. वाई. रमणा रेड्डी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, आजीविका केंद्र, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति में बाईं ओर से तीसरे), साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागी

आजीविका केंद्र (सीएफएल), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद और विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी), ने श्री कालाहस्ती, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में 25 से 29 नवंबर, 2019 तक 'सतत ग्रामीण आजीविका के लिए विज्ञान संचालित गोशाला प्रबंधन' नामक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में 13 संस्थानिक व्याख्यान शामिल थे जिनमें विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी), श्री कालाहस्ती का कृषि क्षेत्र दौरा, दो अन्य क्षेत्र दौरे, उनमें से एक रेणुका बायोफर्म का है जहां गाय की

सहायता से प्राकृतिक कृषि की जाती है, दूसरा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) गोशाला का दौरा है जहां 2000 से अधिक देशज गायों की देखरेख की जाती है और एक जैव उत्पादक इकाई के निर्माण का काम चल रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को गोशाला प्रबंधन की संकल्पना, गोशाला में पशुओं का स्वास्थ्य और चारा देना, गोशाला का व्यावहारिक अर्थशास्त्र, हरित कार्य निर्माण और विशुद्ध ऊर्जा निर्माण के लिए गाय के गोबर से बायोगैस, देशज गायों के दूध, गोबर और गोमूत्र की मूल्य वृद्धि, मानवोचित औषधि और प्राकृतिक खेती में गाय आधारित संरचना के उत्पादों के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई।

जिसमें से 41 ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य-वार प्रतिभागियों में आंध्र प्रदेश के 34, महाराष्ट्र के तीन और ओडिशा और तमिलनाडु के दो-दो प्रतिभागी शामिल थे।

41 प्रतिभागियों में, 26 पशु चिकित्सा सहायक सर्जन थे, चार सहायक निदेशक (पशुपालन) थे, छह अलग-अलग ईटीसी, एनजीओ से थे, उद्योग निगम से एक ने प्रतिनिधित्व किया था और एक विकास सलाहकार थे। कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. वाई. रमणा रेड्डी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएफएल, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया।

एनआईआरडीपीआर में संविधान दिवस मनाया गया

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने 26 नवंबर, 2019 को संविधान दिवस मनाया।

संस्थान के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में, डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, आईएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, ने अंग्रेजी में संविधान दिवस की शपथ दिलाई और श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, ने हिंदी में शपथ दिलाई।

इस समारोह में संकाय सदस्यों, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों, प्रतिभागियों और छात्रों ने भाग लिया।



श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर 26 नवंबर को संस्थान में आयोजित संविधान दिवस के अनुपालन में शपथ दिलाते हुए

-सीडीसी पहल

पोषण अभियान के तहत पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए पीआरआई की नियुक्ति पर टीओटी



डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, टीओटी प्रशिक्षण के प्रतिभागियों के संवाद करते हुए साथ ही प्रोफेसर ज्ञानमुद्रा, अध्यक्ष, सीजीजी एवं पीए (दाई ओर से चौथे) ने भी सहभाग किया

पोषण अभियान बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए भारत का शीर्ष कार्यक्रम है। पोषण अभियान की परिकल्पना 'जन आंदोलन' और 'जनभागीदारी' है, जिसका अर्थ है 'जन आंदोलन', जिसमें परिवारों के बीच महत्वपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देने, ग्राम पंचायत के स्तर पर सहभाग लेने और गति प्रदान करने के लिए पीआरआई अधिवक्ताओं और प्रभावितों की भूमिका पर जोर दिया गया है। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्य विशेषज्ञ स्रोत व्यक्तियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम तैयार किया है।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम की सोपान विधा को सात राज्यों के 1,00,000 से अधिक पीआरआई सदस्यों तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ स्रोत व्यक्तियों के लिए टीओटी का पहला स्तर संचार संसाधन इकाई (सीआरआई) ने एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक दो दिनों के लिए आयोजित किया गया था। एसआईआरडी, एसआरएलएम, डीडब्ल्यूसीडी और पिरामल फाउंडेशन के 39 विशेषज्ञ स्रोत व्यक्तियों ने पोषण अभियान प्रशिक्षण पैकेज में दो दिवसीय प्रशिक्षण में सहभाग लिया। राज्य स्तर पर डीआरपी प्रशिक्षण के आगे के संचालन के लिए विशेषज्ञ स्रोत व्यक्तियों के प्रशिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीजीजी एवं पीए, एनआईआरडीपीआर और कार्यक्रम निदेशक, ने टीओटी का संदर्भ निर्धारित किया है, और सभी प्रतिभागियों से टीओटी का अधिक से अधिक उपयोग करने का अनुरोध किया। विशेषज्ञ प्रशिक्षक बनाने के लिए आवश्यक कौशल सहित उन्हें समर्थ बनाकर, वांछित परिणाम हासिल करने, ग्रामीण स्तर पर पोषण संबंधी परिणाम सुधारने जो पीआरआई सदस्यों का क्षमता निर्माण करते हैं।

डॉ. वी. के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग, ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने उद्घाटन भाषण में प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं को कार्यरत करके पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 35 प्रतिशत बच्चों का विकास अवरुद्ध हो रहा है। इसमें हर साल एक प्रतिशत की कमी आ रही है और इसमें प्रति वर्ष दो प्रतिशत बढ़ाकर, भारत में विकास की अवरुद्ध गति की चुनौती को बदल सकते हैं। पीआरआई नियंत्रण की भूमिका निभा सकते हैं और पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए अंतर क्षेत्रीय परिवर्तन लाने के लिए समर्थन जुटा सकते हैं। उन्होंने अंत में यह कहा कि हमें भारत को कुपोषित बच्चों का एक समझौता राष्ट्र नहीं होने देना चाहिए।

डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि 2,50,000 से अधिक पंचायतों और 30 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ हमारे देश में व्यापक पहुंच है और इसीलिए पोषण अभियान में पीआरआई का संवेदीकरण और जुड़ाव पोषण

संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने में एक बड़ा अंतर ला सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, हमें पीआरआई को समस्या की सीमा की समझ देनी चाहिए और उसे स्वीकार करने के लिए कहना चाहिए और भारत में कुपोषण की चुनौती को दूर करने के लिए स्थानीय समाधान खोजने में उनकी मदद करनी चाहिए। कुपोषण से बच्चों में उपानुकूलतम क्षमता और मंद संज्ञानात्मक विकास होता है।

सभी प्रतिभागियों को पोषण अभियान, पीआरआई प्रशिक्षण पैकेज पर अंतर्दृष्टि प्रदान की गई और उन्होंने पोषण व्यवहार के लिए ग्रामीण स्तर पर पीआरआई सदस्यों को परिवर्तन एजेंट के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संदेशों को सीखा। यूनिसेफ और एनआईआरडीपीआर की संसाधन टीम ने क्षेत्र में प्रदर्शन दौरा किया और गर्भवती महिलाओं, छह साल से कम उम्र के बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिए जाने वाले भोजन पैकेज का प्रदर्शन किया। तीन प्रकार की सामग्री वाले पैकेज के उपयोग पर प्रतिभागियों को कौशल के साथ समर्थ बनाया गया जो मॉक सत्र के माध्यम से प्रशिक्षण पैकेज के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। टीओटी के अंत में, राज्य स्तर पर जिला स्रोत व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए एक विस्तृत सूचीबद्ध योजना बनाई गई थी।

डॉ. वेंकटेश्वरलू, महानिदेशक, यूपीएसआईआरडी ने समापन अवसर में शामिल हुए और कहा कि पोषण अभियान के तहत पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए पंचायत राज संस्थाओं की भागीदारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने अंत में यह कहा कि सभी प्रतिभागियों को भारत में पोषण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक जुनून के साथ काम करना चाहिए।

डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी ने अंत में यह कहा कि पंचायतें अन्य बातों के साथ ही सब कुछ करने में सक्षम हैं। वे तत्पर निर्णय लेने में सक्षम हैं क्योंकि उन्हें अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विधानमंडल की आवश्यकता नहीं है। अभिसरण गांव में ही हो सकता है और पीआरआई एसआरपी और डीआरपी से मार्गदर्शन लेकर इसे सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि हमें इस पहल को एक आदर्श स्कूल ऑफ प्रैक्टिस के रूप में बनाना चाहिए, इसे प्रदर्शित करना चाहिए और इसे कुपोषित मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत भर में आगे की प्रतिकृति के लिए प्रलेखित करना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन पर आईएनएसईई द्विवार्षिक सम्मेलन



प्रो. ई. रेवती, निदेशक, ने 10 वें आईएनएसईई द्विवार्षिक सम्मेलन में दीप प्रज्वलित किया, इनके साथ (बाईं ओर से दाईं ओर) डॉ. जीना टी. श्रीनिवास, सचिव, आईएनएसईई, डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, डॉ. के.एन. निनान, अध्यक्ष, आईएनएसईई, प्रो. सी.एच. हनुमंत राव, पूर्व सचिव, आईएनएसईई, डॉ. विनोद थॉमस, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आईएनएसईई, विश्व बैंक, और राजीव अहल, निदेशक, जीआईजेड, भारत ने सहभाग लिया

जलवायु परिवर्तन और आपदा: आईएनएसईई – सीईएसएस की चुनौतियाँ, अवसर और प्रतिक्रियाएँ पर दसवें आईएनएसईई द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, हैदराबाद में 6 - 8 नवंबर, 2019 को किया गया। सम्मेलन का आयोजन डॉयचे गेसल्सचफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसमेनराबीट (जीआईजेड) जीएमबीएच और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मौसम की घटनाओं से उत्पन्न जोखिमों को संबोधित करने के लिए चुनौतियों, अवसरों और प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना था ताकि जलवायु परिवर्तन, गरीबी से निपटने के लिए लचीलापन का निर्माण किया जा सके।

उद्घाटन भाषण के भाग के रूप में, विश्व बैंक के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डॉ. विनोद थॉमस ने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए अनिवार्यताओं पर एक प्रस्तुति दी। "संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण 200 मिलियन लोगों के विस्थापित होने की संभावना है और जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया सबसे कमजोर हैं और खराब स्थिति में हैं।" उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर परस्पर संबद्ध कागजात के साथ इस समय सम्मेलन उपयुक्त है। समुद्र से पानी के वाष्पीकरण में वृद्धि के कारण चक्रवात, आंधी और तूफान जैसी ये आपदाएँ लगातार हो रही हैं, जिनका तापमान वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड के संचय के कारण बढ़ गया, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का प्राथमिक कारण है।

जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बनाने के महत्व पर जोर देते हुए, डॉ. विनोद ने कहा कि यह बेहतर समय है कि देशों को ऐसी चरम घटनाओं के हमले से निपटने के लिए तैयार किया जाए जो बहुत कम समय सीमा के भीतर भी हो।

सम्मानित अतिथि, श्री राजीव आहल, निदेशक, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, डॉयचे गेसल्सचफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसमेनराबीट (जीआईजेड), भारत, ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि कैसे एक प्रजाति के रूप में इंसानों ने हमारे ग्रह के मौसम के स्वरूप में दखल दिया और तेजी से बदलती मौसम प्रणाली और इसके प्रतिकूल प्रभावों को अपनाने में हमारी मदद करने में संभावित समाधानों के बारे में बताया। जीआईजेड दुनिया भर के 120 देशों में और संभव समाधान तलाशने के अपने सामान्य दायित्व में अनुसंधान संस्थानों के साथ काम करता है, जो मेजबान देश और जर्मनी के लिए आम हैं। अनुकूलन के लिए आवश्यक जानकारी पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि आपदाओं की आवृत्ति और उनकी तीव्रता में वृद्धि हुई है और अब सूखा जैसी आपदाओं की धीमी गति से शुरुआत देखी जा रही है, जिसके



सम्मेलन के दौरान सेंटर फॉर मल्टी-डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च, धारवाड़ के सम्माननीय प्रोफेसर श्री गोपाल कदेकोड़ी के साथ वार्तालाप करते हुए डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर

परिणामस्वरूप सूखा क्षेत्र एक वर्ष में तीन बार बाढ़ का सामना करते हैं और इस पर बड़े पैमाने पर अनुसंधान की आवश्यकता है।

डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज, हैदराबाद ने आईएनएसईई को उनके द्वारा किए गए उत्तम कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने एनआईआरडीपीआर के दायित्व अर्थात् आजीविका के लिए प्रशिक्षण, अनुसन्धान और प्रौद्योगिकी अंतरण के बारे में संक्षिप्त में बात की। उन्होंने आईएनएसईई और वहां मौजूद शोधकर्ताओं को बात करने का अवसर दिया ताकि नीति निर्माताओं को किसी भी विकास हस्तक्षेप चाहे वह कोई योजना हो या कोई परियोजना, उसके फायदे और नुकसान की जानकारी दी जा सके। डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन विकासशील देशों में अधिक लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ला सकता है। ग्रामीण स्तर पर लोगों की भागीदारी के साथ विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण, और विभागों तथा अन्य एजेंसियों के बीच अभिसरण को जलवायु-व्यवहार्य समाजों के निर्माण में अधिक प्रभावी पाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जमीनी स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह जलवायु परिवर्तन अनुमानित जोखिमों के खिलाफ ग्रामीण गरीबों की अनुकूली क्षमता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, ने वैज्ञानिक समुदाय और ग्राम पंचायत के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए यह निष्कर्ष दिया कि यही एकमात्र ऐसी संस्था जो जनसमूह का समाधान कर सकती है और उन्हें जागरूक बना सकती है। मजदूरी रोजगार केंद्र (सीडब्ल्यूई), एनआईआरडीपीआर, ने जलवायु परिवर्तन के लिए एमजीएनआरडीपीएस के योगदान पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। एनआईआरडीपीआर के संकाय ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न विषयों पर सात शोधपत्र प्रस्तुत किए।

DETAILS	POST GRADUATE DIPLOMA IN RURAL DEVELOPMENT (ONE YEAR FULL TIME RESIDENTIAL PROGRAMME) MANAGEMENT (PGDRDM) 2020-21 BATCH-18)	POST GRADUATE DIPLOMA IN MANAGEMENT - RURAL MANAGEMENT (PGDM-RM) 2020-22 BATCH-3 APPROVED BY AICTE (TWO YEARS FULL TIME RESIDENTIAL PROGRAMME)
HOW TO APPLY:	Applications are to be submitted online only at www.nirdpr.org.in/pgdrdm.aspx .	
RESERVATION:	Reservations for the students of the SC/ST/OBC(Non-creamy layer) EWS and Persons with Disability (PWD) will be made as per the Government of India norms.	
LAST DATE :	Last date for online submission is 10-04-2020. Applications received after the last date shall not be accepted.	
ELIGIBILITY	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum 50 per cent marks (45 per cent marks for SC/ST and PWD candidates) or equivalent in Graduation. • Valid Score in CAT / XAT / MAT / CMAT / ATMA / GMAT for admissions (or) Selection of candidates will be made through a process of All-India Entrance Test which will test the verbal, quantitative and analytical competencies of the students including English Language • Students, who are in the final year and expect to complete all the requirements before 15th June 2020, may also apply. <p>ENTRANCE TEST: The entrance test will be conducted at Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, New Delhi, Patna, Pune and Thiruvananthapuram. However, NIRDPR reserves the right to cancel any of the centres or add new centres for any administrative reasons and assign any other centre to the applicants.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum 50 per cent marks (45 per cent marks for SC/ST and PWD candidates) or equivalent in Graduation. • Valid Score in CAT / XAT / MAT / CMAT / ATMA / GMAT for admissions (or) • Students, who are in the final year and expect to complete all the requirements before 15th June 2020, may also apply.
Mode of Selection	Apart from eligibility conditions group discussion and personal interviews will be conducted for the short-listed candidates at NIRDPR, Hyderabad.	
Course Fee	Rs.1,80,000/- per annum	
Encouragement/ Scholarship	The North Eastern Council, Shillong, will be approached for giving fellowships to economically backward students of North Eastern States. During the course, based on the performance trimester-wise (more than 8 GPA) of the students, fee concessions will be provided in the subsequent next trimester as a matter of encouragement.	
For Details log on to	Web: http://www.nirdpr.org.in/pgdrdm.asp Phone No.: 91-040-24008460, 442; 556	
Admission Notification for Distance Mode Courses		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Post Graduate Diploma in Sustainable Rural Development (PGDSRD) Twelfth Batch (2020-21) 2. Post Graduate Diploma in Tribal Development Management (PGDTDM) Ninth Batch (2020-21) 3. Post Graduate Diploma in Geo-Spatial Technology Applications in Rural Development (PGDGARD) Fifth Batch (2020-21) 4. Diploma Programme on Panchayati Raj Governance & Rural Development (DP-PRGRD) Second Batch (2020) <p>Applications from aspiring candidates are invited for admission into above Distance Mode Courses commencing from 1st January, 2020. The minimum educational qualification for admission is Graduation in any discipline from UGC recognized Universities. Please visit our Website www.nirdpr.org.in/dec.aspx for further details and to submit online application. The last date for receipt of filled-in applications is 31st December, 2019. For further queries, you may contact us through website.</p> <p style="text-align: right;">Sd/ Prof. & Head (PGSS&DE)</p>		



भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473

ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.

विक्टर पॉल

जी. साई रवि किशोर राजा

एनआईआरडी एवं पीआर

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030 की ओर से

डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:

अनिता पांडे

हिन्दी अनुवाद:

ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन



प्रशिक्षण और
क्षमता निर्माण



अनुसंधान
और अनुप्रयोग
विकास



नीति प्रयोजन
और समर्थन



प्रौद्योगिकी
अंतरण



शैक्षणिक
कार्यक्रम



अभिनव कौशल
और आजीविका